प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**ई – मेल/तत्काल/अनुस्मारक**

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।**

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 3143 /2025 – 26　　　　　　दिनांक – 13 / 03 /2026

विषय – युवा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के पोर्टल पर छात्र – छात्राओं द्वारा नामांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 225/सत्तर – 3 – 2026 – 2029275 दिनांक 06 मार्च, 2026 एवं इस कार्यालय के पत्रांक डिग्री विकास/3098/2025 – 26 दिनांक 06 मार्च, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो युवा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के पोर्टल पर छात्र – छात्राओं द्वारा नामांकन किये जाने के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में कतिपय विश्वविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा ही आख्या उपलब्ध करायी गयी है परन्तु नामांकन कराने वाले छात्र – छात्राओं की संख्या बहुत कम दृष्टिगत हो रही है या फिर आंकड़े ही उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आज शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ संपन्न वर्चुअल बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल/वेबसाइट https://ebsb.aicte-india.org/ के माध्यम से **अधिक से अधिक छात्र – छात्राओं का नामांकन कराते हुए नामांकित छात्र एवं छात्राओं की संख्या (निर्धारित प्रारूप पर) एवं कृत कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रकरण शासन की प्राथमिकता में है अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

13/3/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 3143-47 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों से सूचना संकलित कर समेकित सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त के क्रम में कार्यवाही करते हुए अपने क्षेत्रान्तर्गत **क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से** ही सूचना प्रेषित करायें।
4. तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि इस पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करायें।

13/3/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।